कार्यपालिक सारांश

खनिज सीमित और गैर–नवीकरणीय हैं, और उनका दोहन दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों, दृष्टिकोणों और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य द्वारा निर्देशित होता है। खनिजों के लाभप्रद मांग ने हाल के दिनों में अवैध खनन, विशेषकर गौण खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा दिया है।

स्थानीय लोगों पर खनन गतिविधियों के प्रभाव को देखते हुए, भारत सरकार ने जिला खनिज संस्थान न्यास (जि.ख.सं.न्या.) की स्थापना का प्रावधान किया, और तदनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ की सुरक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में जि.ख.सं.न्या. की स्थापना की (दिसंबर 2015)।

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित की गई थी कि क्या राज्य शासन ने अवैध खनन गतिविधियों को रोकने, पता लगाने और अंकुश लगाने तथा खनन से संबंधित गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया गया है, जैसा की जि.ख.सं.न्या. स्थापना से अपेक्षित था । लेखापरीक्षा के दौरान संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म और नौ जिलों में जिला खनि कार्यालयों के साथ जि.ख.सं.न्या. के कार्यालयों के 2015–16 से 2020–21 की अवधि के अभिलेखों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मौजूदा नियंत्रण उपायों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। उत्खनि पट्टों के विस्तृत डेटाबेस का अभाव था, और उत्खनन पट्टा क्षेत्र के सीमांकन को इंगित करने के लिए सीमा स्तंभ/सीमा चिह्न अनुपस्थित थे, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों के बाहर उत्खनन गतिविधियों की पहचान नहीं हो पाई थी। खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए स्थापित जांच चौकियों की संख्या अपर्याप्त पाई गई जबकि स्थापित जांच चौकी तौलकांटे की सुविधा सुसज्जित नहीं थे। तीन जिलों में कोई चेक पोस्ट स्थापित नहीं किया गया था जबकि शेष छह जिलों में, 18 चेक पोस्ट बिना किसी तौलकांटे सुविधा के थे।

गौण खनिजों के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने ई–परमिट प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू नहीं की। छः जिलों में निरीक्षण अधिकारियों की कमी के कारण खानों के निरीक्षण में निर्धारित मानदण्डों के विरूद्ध 52 से 92 प्रतिशत तक की कमी थी। निजी/शासकीय निर्माण कार्यों में गौण खनिजों के उपयोग की निगरानी/सत्यापन, निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि गौण खनिजों के उपार्जन एवं उपयोग पर तिमाही प्रतिवेदन संबंधित व्यक्ति/कम्पनी/फर्म आदि द्वारा जिला खनन प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे। पट्टाधारियों द्वारा उत्खन पट्टों की मासिक विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था। जिला टास्क फोर्स (जि.टा.फो.) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई तथा जि.टा.फो. की बैठकों से संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। विभाग अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के पंजीकृत 3,536 प्रकरणों के विरुद्ध लागू शास्ति आरोपित

करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.51 करोड़ की शास्ति कम आरोपित की गई।

गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी हुई और विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ.सू.प्र.) और ड्रोन सर्वेक्षण जैसी अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विचार नहीं किया। गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर चयनित 202 उत्खनि पट्टों का लेखापरीक्षा विश्लेषण करने से स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनन गतिविधियों (15 मामलों में) और स्वीकृत पट्टे के निकटवर्ती क्षेत्र में फैले गड्ढों (आठ मामलों में) का पता चला। यह भी देखा गया कि पर्यावरण स्वीकृति (प.स्वी.) और उत्खनि योजनाओं की शर्तों के अनुसार पट्टा क्षेत्र के आसपास कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था (40 मामलों में)। तकनीकी सलाहकार के माध्यम से ड्रोन सर्वेक्षण की सहायता से लेखापरीक्षा ने अनाधिकृत स्थलों पर मुरूम के अवैध उत्खनन तथा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर रेत एवं चूना पत्थर के अवैध उत्खनन का पता लगाया, जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 2.67 करोड़ के रायल्टी की हानि हुई।

रेत खनन की निगरानी में कमी पाई गई और विभाग रायल्टी के अपवंचन और पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के गैर–अनुपालन को रोकने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने खनन योजना के अनुसार खुदाई की जाने वाली कुल खनन योग्य मात्रा के विरूद्ध कम मात्रा रिपोर्ट करने, ट्रांजिट पासों में दर्शाई गई मात्रा के विरुद्ध रेत ढोने वाले वाहनों का ओव्हरलोडिंग, उत्खनि स्थलों पर पट्टेदारों द्वारा अभिलेखों का संधारण न करना, स्वीकृत पट्टा स्थलों से परे उत्खनन, रेत खनन के लिए पोक्लेन मशीनों का उपयोग, और पर्याप्त वृक्षारोपण न होने के उदाहरण पाया। विभाग ने मुरूम खुदाई के लिए प्रासंगिक कार्यों और स्थलों पर मुरूम की वास्तविक उपलब्धता की पुष्टि किए बिना, अवैध उत्खनन और अनुमत मात्रा से अधिक अधिक परिवहन की गुंजाईश छोड़ते हुई, 87.33 लाख घन मीटर मुरूम के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञापत्र जारी किया, ।

जि.ख.सं.न्या. की स्थापना (दिसम्बर 2015) राज्य के सभी 27 जिलों में खनन या खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि, यह देखा गया कि जि.ख.सं.न्या. ने खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने में देरी की (17 महीने से 50 महीने तक की देरी) और राज्य में खनन प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार करने में विफल रहे।

वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान, नौ नमूना जांच किए गए जि.ख.सं.न्या. में ₹ 1,918.84 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी और न्यास निधि का औसत उपयोग 63 प्रतिशत था। निधियों के कम उपयोग के परिणामस्वरूप निधियों का संचय हुआ और वांछित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से देय लाभ प्राप्त नहीं हुए। जि.ख.सं.न्या. की निधियों को बचत बैंक खातों में रखा गया था और स्वीप/फ्लेक्सी जमा सुविधा का लाभ न लेने के परिणामस्वरूप ₹ 24.87 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। जि.ख.सं.न्या. नियमों में निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर धन का उपयोग करने के लिए शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जि.ख.सं.न्या. ने ₹ 14.94 करोड़ की राशि का व्यय

किया। कार्यों के निष्पादन की कमजोर निगरानी के कारण अधूरे कार्यों पर ₹ 219.31 करोड़ की राशि कार्यान्वयन एजेंसियों/ठेकेदारों के पास अवरूद्ध थी। इसके अलावा, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में जारी की गई ₹ 8.00 करोड़ की शेष राशि संबंधित कार्यों के पूरा होने/रद्द होने के बावजूद वसूल नहीं की गई थी।

जि.ख.सं.न्या. की गतिविधियों की निगरानी अपर्याप्त थी, क्योंकि कोई भी जि.ख.सं.न्या. शासी परिषद/प्रबंधकारणी समिति की बैठकों के नियमित आयोजन और बजट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की समय पर तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए न्यास निधि से योजनाबद्ध तरीके से व्यय नहीं किया गया था क्योंकि मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज और वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी।

अनुशंसाएं :

1. *जिला कार्यालयों को निर्धारित प्रारूप में उत्खनन पट्टों का डाटाबेस संधारित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए।*
2. *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनन योजना में दर्शाए गए सीमांकन को इंगित करने के लिए पट्टेदारों द्वारा सीमा चिन्हों के साथ सीमा स्तंभों का रखरखाव किया जा रहा है।*
3. *सरकार को मुंगेली, कवर्धा और बलौदाबाजार जिलों में निश्चित समय सीमा के भीतर पर्याप्त संख्या में चेक पोस्ट स्थापित करने चाहिए और खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग की जांच के लिए सभी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे और कांटातौल की सुविधा स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।*
4. *विभाग को पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित कर निर्धारित मानदंडों के अनुसार निरीक्षण और निरीक्षण के उचित अभिलेखों के संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए।*
5. *खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग को गौण खनिजों के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और ई–परमिट सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने पर विचार करना चाहिए।*
6. *विभाग गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली अतिशीघ्र लागू करे।*
7. *विभाग को खनन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन तक अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिए भौ.सू.प्र./ड्रोन सर्वेक्षण की व्यवहार्यता और उपयोग की जांच करनी चाहिए।*
8. *शासन को सतत रेत खनन व्यवहारों को अपनाना चाहिए एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों तथा नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु रेत खनन गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए निर्देश जारी करना चाहिए।*
9. *रेत परिवहन के दौरान पिट पास/रायल्टी पेड पास का उपयोग नहीं करने के मामलों में शासन को शास्ति अधिरोपित करने पर विचार करना चाहिए।*

10. विभाग को अवैध मुरूम उत्खनन को रोकने के लिए मुरूम परिवहन के लिए निकास अनुज्ञापत्र जारी करने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।

11. प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए जि.ख.सं.न्य. निधि का विवेकपूर्वक लाभदायक तरीके से प्रबंधन किया जाना चाहिए।

12. शासन को जि.ख.सं.न्य. नियमों में निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर न्यास निधि के सख्ती से उपयोग के लिए निर्देश जारी करना चाहिए।

13. शासन को समयबद्ध तरीके से खनन प्रभावित व्यक्तियों/समुदायों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए।

14. खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के सुनियोजित ढंग से विकास सुनिश्चित करने के लिये शासन को सर्वे कराकर मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज शीघ्रता से तैयार करना एवं निगरानी करना चाहिये।

15. शासन को जि.ख.सं.न्य. को बजट, वार्षिक योजना और वार्षिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने एवं परियोजनाओं/कार्यों आदि की पारदर्शिता और निगरानी के लिए संबंधित हितधारकों को प्रस्तुत करने निर्देश जारी करना चाहिए।